इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :121/प्र0अ0(त0स0–2)/जोन–1/शमन/2016–17 दिनांक : 11/05/2017

विनियमितीकरण–पत्र

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर निर्माण विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री शिलादित्य सिंह व शौम्यशील सिंह, विकासकर्ता श्री डी0के0 अग्रवाल द्वारा बंगला नं0–15ए पुराना 20/19ए न्यू सरोजनी नायडू मार्ग इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल समूह आवास शमन मानचित्र उपाध्यक्ष के स्वीकृति/निर्गमन आदेश दिनांक 27.04.2017 के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 14 अद्द वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।
6. सोलर वाटर हीटींग संयत्र की स्थापना करना होगा।
7. भवन की संरचना एवं सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा।
8. शेष नियम एवं शर्ते पूर्व स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या–100/01/प्र0अ0(त0स0–2)/जोन–1/F.A.R/2014–15 दिनांक 05.10.2016 के अनुरूप पूर्ववत प्रभावी होंगे।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

11/05/2017

(पुष्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी